



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 45 अंक 24 Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in> 1 फरवरी, 2023 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

विस्तृत विज्ञापन

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक :- प.14(11)RSSB/अर्थना/DOIT/IA/भर्ती/2023/1307

दिनांक :- 16.01.2023

विज्ञापन सं. 01/2023

सूचना सहायक (Informatics Assistant) सीधी भर्ती-2023

- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत सूचना सहायक के 2730 पदों पर (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 315) भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।
- ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:-** बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।
 - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्रज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
 - अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR) क्रमांक जनरेट होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
 - यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
 - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
 - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
 - आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं।
 - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
 - आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
 - आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
 - Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।
- आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवायें।
 - सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - **रुपये 450/-**
 - राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु - **रुपये 350/-**
 - समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - **रुपये 250/-**
 - कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क **रुपये 250/-** देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)

नोट-

 - राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
 - फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
 - सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। (क्रमशः)

3. सूचना सहायक (Informatics Assistant) के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है :-

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

नोट- अनुसूचित जनजाति के 152 एवं बारां सहरिया जनजाति के 5 पद बैकलॉग के हैं, जो उपरोक्त वर्गीकरण में शामिल हैं।

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका
2415	798	229	91	22	210	60	24	8	299	86	34	8	119	34	13	3	86	26	9	2	169	49	19	4	11	4	-	-

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक								उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	M.I./M.D.	UR	EWS	MBC	OBC	SC	ST	TOTAL		
25	24	24	24	143	30	15	21	37	55	301	48	
निःशक्तजन (बैकलॉग) Interchangeable												
B/LV	HI	LD/CP	M.I./M.D.									
43	46	-	-									

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

नोट- अनुसूचित जाति के 05 एवं अनुसूचित जनजाति के 85 पद बैकलॉग के हैं, जो उपरोक्त वर्गीकरण में शामिल हैं।

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरका
315	136	39	16	04	11	03	01	00	74	20	08	03

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक								उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	M.I./M.D.	UR	EWS	MBC	OBC	SC	ST	TOTAL		
07	05	03	03	24	-	-	-	02	13	39	06	
निःशक्तजन (बैकलॉग) Interchangeable												
B/LV	HI	LD/CP	M.I./M.D.									
03	02	-	-									

नोट:-

- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अम्यर्था का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अम्यर्था को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अम्यर्था का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) से होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अम्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अम्यर्था उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्त पश्चात्तर्ती वर्षों में उपलब्ध हों।
- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अम्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवरका (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अम्यर्था उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परिवरका (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिवरका अम्यर्था उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परिवरका दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परिवरका महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री प्रस्तुत करनी होगी (परिवरका महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अम्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा। (क्रमशः)

18. **श्रुत लेखन की सुविधा**—सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अद्यानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक के सम्म उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।
19. **ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया**—बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-
1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्त की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, लिंग व जन्म तिथि के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
 2. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, द्वैजित श्रेणी, विशेष श्रेणी/उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परित्यक्ता इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।
 3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (व्ययन होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर विचार किया जायेगा।
 4. इसके पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
20. **आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम**—आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केंद्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केंद्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत बर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्चरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्ध पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।
21. **सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-**

सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी :- परीक्षा दो भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग-I में अर्हित होते हैं परीक्षा के भाग-II में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के भाग-I के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग-II के लिए अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :-

भाग I -लिखित परीक्षा

	अधिकतम अंक	समय
योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त	100	3 घण्टें
भाग II - अर्हता टंकण गति परीक्षण :		समय
(क) हिन्दी		15 मिनट
(ख) अंग्रेजी		15 मिनट

टिप्पणी : अर्हता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे और योग्यता सूची परीक्षा के भाग-I में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी किन्तु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे।

भाग-I लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण

Aptitude Test, General Awareness in Information Technology and Fundamentals of Computer:

- (a) Problem Solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning, Mental Ability and Analytical Reasoning, General Knowledge and Current Affairs relating to India and Rajasthan, Major developments in the field of Information Technology.
- (b) Overview of the Computer System including input-output devices, pointing devices, and scanner.
- (c) Introduction to Operating System, Word Processing (MS-Word), Spread Sheet Software (MS-Excel), Presentation Software (MS Power Point), DBMS Software (MS-Access).
- (d) Representation of Data (Digital versus Analog, Number System - Decimal, Binary & Hexadecimal), Introduction to Data Processing, Concepts of files and its types.
- (e) Introduction of Internet Technology and Protocol, LAN, MAN, WAN, Search Services/Engines, Introduction to online & offline messaging, World Wide Web Browsers, Web publishing, Creation & maintenance of Websites, HTML Interactivity Tools, Multimedia and Graphics, Voice Mail and Video Conferencing, Introduction to e-Commerce.
- (f) Security: Protecting Computer Systems from viruses & malicious attacks, Introduction to Firewalls and its utility, Backup & Restoring data.
- (g) Algorithms for Problem Solving, Introduction to C Language, Principles and Programming Techniques, Introduction of Object Oriented Programming (OOPs) concepts, Introduction to "Integrated Development Environment" and its advantages.

भाग-II- टंकण गति परीक्षण

केवल उन अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर मशीन पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जायेगा जो परीक्षा के भाग-I में अर्हित हुए हैं। परीक्षा के भाग-II (अर्हता टंकण गति परीक्षण) में प्रविष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) की लगभग तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पणी :

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस सन्तुष्टी में बतायी गयी है किन्तु इसका सर्वतः पूर्ण होना आशयित नहीं है।
 2. यदि किसी अभ्यर्थी को हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोदत्त होते, कटौती कर दी जायेगी।
 3. परीक्षा के प्रश्नपत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के हो सकेंगे।
 4. परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।
- नोट- सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जायेगा, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक 36 प्रतिशत होंगे। बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से कुल मिलाकर तीन तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।

22. **बोर्ड की वेबसाइट**—अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष



बोस संस्थान, कोलकाता

(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान)

विज्ञापन सं. 81/गैर-एसीए/11/2022-23 दिनांक: 14.01.2023

बोस संस्थान में कनिष्ठ मैकेनिक (इलेक्ट्रिकल), कनिष्ठ मैकेनिक (मैकेनिकल) और ड्राइवर-सह-मैकेनिक की भर्ती के लिए आवेदनों का आमंत्रण

बोस संस्थान, कोलकाता कनिष्ठ मैकेनिक (इलेक्ट्रिकल) 02 (दो) पद, कनिष्ठ मैकेनिक (मैकेनिकल) 01 (एक) पद और ड्राइवर-सह-मैकेनिक 01 (एक) पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है। बोस संस्थान, कोलकाता, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय स्वायत्त एम्स/डी संस्थान है, जिसे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से 100% अनुदान सहायता प्राप्त होती है। पदों की संख्या और अर्हताओं के विवरण नीचे दिए गए हैं:

पद का नाम	कनिष्ठ मैकेनिक (इलेक्ट्रिकल)	कनि. मैकेनिक (मैकेनिकल)	ड्राइवर-सह-मैकेनिक
वेतनमान	वेतन लेवल-2 (7वां कें.वे.आ.)	वेतन लेवल-2 (7वां कें.वे.आ.)	वेतन लेवल-2 (7वां कें.वे.आ.)
पदों की संख्या	2-अना	1-अना	1-अपिव
भर्ती की पद्धति	सिंधी	सिंधी	सिंधी
आयु सीमा	28 वर्ष से नीचे	28 वर्ष से नीचे	28 वर्ष से नीचे
शिक्षा अर्हता	अनिवार्य: i) आठवीं श्रेणी उत्तीर्ण. ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में दक्षता प्रमाणपत्र. iii) वायरमैन लाइसेंस अवश्य रखते हों. वांछनीय: i) एसएफ (माध्यमिक) उत्तीर्ण. ii) इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 5 वर्ष का कार्य अनुभव.	अनिवार्य: i) आठवीं श्रेणी उत्तीर्ण. ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में दक्षता प्रमाणपत्र. वांछनीय: i) एसएफ (माध्यमिक) उत्तीर्ण. ii) मैकेनिकल ट्रेड में 5 वर्ष का कार्य अनुभव.	अनिवार्य: i) 8वीं श्रेणी उत्तीर्ण ii) हल्के और भारी मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य रखते हों. iii) कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस. iv) ऑटोमोबाइल में छेटी मोटी मरम्मत करने में योग्य हों. वांछनीय: ऑटोमोबाइल मैकेनिक में प्रमाणपत्र. चयन ट्रेड परीक्षा के जरिए किया जाना है.
परिवीक्षा अवधि	1 वर्ष	1 वर्ष	1 वर्ष

आवेदन प्रक्रिया

- केवल विधिवत भरे हुए ऑनलाइन आवेदन (www.jbbose.ac.in में उपलब्ध (17.00 बजे आईएसटी 13.02.2023 तक) प्रोसेस किए जाएंगे। 13.02.2023 (1700 बजे आईएस टी) के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव प्रमाणपत्रों और कोई अन्य शंसापत्रों की विधिवत स्वयं सत्यापित प्रतियां साथ में ऑटो जेनेरेटेड ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रजिस्ट्रार (स्थानापन्न), बोस संस्थान, यूनिफाइड एकेडमिक कैम्पस, ब्लॉक ईएन 80, सेक्टर 5, विद्यान नगर, कोलकाता-700091 के पास 13.02.2023 को 17.00 बजे (आईएसटी) तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- पात्रता मानदंड, ऊपरी आयु सीमा सहित, की गणना आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि अर्थात् 13.02.2023 को की जाएगी।
- सभी समर्थित दस्तावेज अपलोड करना अपेक्षित है और अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले अपेक्षित दस्तावेजों की पीडीएफ फाइलें तैयार कर लें।
- आवेदन पत्र की हार्ड प्रति भेजने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात की जांच कर लें कि क्या अपने विज्ञापन के अनुरूप सभी आवश्यक दस्तावेज, शंसापत्र संलग्न कर दिए हैं अथवा नहीं। बोस संस्थान को उसके आवेदन पत्र की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस संबंध में किसी दस्तावेज के नहीं होने के लिए किसी तरह की अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ई-मेल के जरिए प्राम/अपूर्ण (अर्थात् बगैर हस्ताक्षर/फोटोग्राफ चिपकाए बगैर)/निर्धारित प्रपत्र में नहीं होना, संगत दस्तावेजों, शंसापत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के बगैर/उचित माध्यम से नहीं होना, बगैर एनओसी के प्राम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- केवल अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों को ही उनके संबंधित ई-मेल आईडी पर साक्षात्कार की तिथि को सूचित किया जाएगा। सूची www.jbbose.ac.in पर भी उपलब्ध होगी।
- आवेदन करने से पहले आवेदकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे कम से कम पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं रखते हैं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करते हैं। यदि कोई उम्मीदवार पात्र नहीं पाया जाता है, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में और/अथवा यहां तक कि बोस संस्थान में पद की जवाबदारी के बाद भी निरस्त कर दी जाएगी। (कृपया यह नोट कर लें कि यहां तक कि यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार में सफल हो जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि वह पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी)।
- निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं और इन्हें रखने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाएगा। आवेदनों की संख्या बहुत अधिक होने पर संस्थान साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने के लिए अल्पसूचीकरण मानदंड अपना सकता है।
- ड्राइवर-सह-मैकेनिक के पद के लिए चयन ट्रेड परीक्षा तदुपरांत साक्षात्कार के जरिए किया जाएगा।
- उम्मीदवार किसी भी संशोधन के लिए संस्थान की वेबसाइट पर ध्यान रख सकते हैं।
- राज्य अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं/राज्य अथवा केंद्रीय सरकार के अनुसंधान संस्थाओं आदि में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजने चाहिए और वे अनापत्त प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- राज्य अथवा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं/राज्य या केंद्रीय सरकार के अनुसंधान संस्थानों/एनजीओ/निजी संगठन आदि में सचिवा आधार पर कार्यरत उम्मीदवार को अपने संगठन/नियोक्ता से अनापत्त प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी चाहिए।
- किसी अंतरिम पूछताछ, जो भी हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सिफारिश अथवा किसी प्रकार का ब्याव डलवाए जाने से उम्मीदवार अयोग्य हो जाएंगे।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने/अपलोड करने का कार्य पूरा होने और प्रस्तुत कर दिए जाने पर उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र की एक प्रति डाउनलोड कर लेनी चाहिए, उस पर हस्ताक्षर करें, प्रमाणपत्रों/शंसापत्रों आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियां संलग्न करते हुए प्रेषित करें जो कि 13.02.2023, 1700 बजे (आईएसटी) तक "रजिस्ट्रार (स्थानापन्न), बोस संस्थान, यूनिफाइड एकेडमिक कैम्पस, ब्लॉक-ईएन 80, सेक्टर-5, विद्यान नगर, कोलकाता - 700091 के पास स्वीड पोस्ट/कोरियर से पहुंच जाने चाहिए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख (यूटी), हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिविजन, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 28.02.2023 है। डाक में देरी के लिए, यदि कोई है, संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
- भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन उम्मीदवार सहित किसी भी आरटीआई आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। अतः उम्मीदवारों को सूचना डाउनलोड करने और भविष्य के लिए संदर्भ हेतु इसे रखने की सलाह दी जाती है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान न तो कोई आवेदन आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वीकार किया जाएगा और न ही सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। तथ्यात्मक सूचना आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केवल अंतिम परिणाम की घोषणा होने के बाद और नियमों के अनुसार शर्तों के विषयाधीन इस अधिसूचना की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। आनुमानिक अथवा काल्पनिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- सेवा में सीधी भर्ती के लिए व्यक्ति का चरित्र, कुछेड़ा होना चाहिए जिससे सेवा में नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त हो। संघीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी निगम, जो कि केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण अधीन किसी संगठन के कर्मचारी अथवा निजी क्षेत्र के संगठनों में सेवारत व्यक्ति को यदि बर्खास्त किया गया है, उन्हें नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।
- सेवानिवृत्ति लाभ बोस संस्थान में यथा लागू नई पेंशन प्रणाली के अनुरूप विनियमित किया जाएगा अथवा अपने वर्तमान रोजगार में पेंशन योग्य सेवा में उम्मीदवारों को बोस संस्थान में सेवा की पुष्टि होने पर नियमानुसार केंद्रीय सरकार की पुरानी स्कीम के अधीन पेंशनयोग्य सेवा का लाभ लेने के लिए बोस संस्थान में स्थानांतरित अपने सेवानिवृत्ति लाभ को प्राप्त करना अपेक्षित होगा।
- पात्र उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
- अजा/अजजा/अपिव और बेंचमार्क निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तिओं को आरक्षण नियम, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नियमों के तहत लागू होगा।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपिव श्रेणी में आरक्षण का दावा करने के लिए संबंधित उम्मीदवार द्वारा जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप बोस संस्थान वेबसाइट में दिया गया है)।
- अपिव से संबंधित होने का दावा करने वाला कोई भी उम्मीदवार किसी भी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। कोई अन्य प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भी प्रमाणित करना चाहिए कि उम्मीदवार किसी संपन्न वर्ग से संबंधित नहीं है (प्रारूप बोस संस्थान की वेबसाइट में दिया गया है)।
- चयनित उम्मीदवार को संस्थान के अधिकार क्षेत्र में बोस संस्थान के किसी भी कैम्पस में तैनात किया जा सकता है।
- निदेशक, बोस संस्थान के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान रिक्ति विज्ञापन को अंशतः अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- संस्थान की आवश्यकता पर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- सभी विवाद कोलकाता कार्याधिकार क्षेत्र में आएंगे।

रजिस्ट्रार (स्थानापन्न)



छावनी परिषद् रानीखेत

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 121/स्था./भर्ती/सीबीआर/2022/

दिनांक: 02-01-2023

छावनी परिषद् रानीखेत में विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती

छावनी परिषद् रानीखेत (उत्तरखंड) में निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट/पोर्टल <https://ranikhet.cantt.gov.in> या <https://forms.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. छावनी परिषद् रानीखेत एक स्वायत्तशासी स्थानीय निकाय है और इसके कर्मचारियों को सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित छावनी परिषद् कर्मचारी सेवा नियमावली, 2021 द्वारा शासित होती हैं. विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट/पोर्टल <https://ranikhet.cantt.gov.in> और <https://forms.mponline.gov.in> पर देखा जा सकता है.

पदों का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणी चार					वेतनमान	आयु (वर्ष में)	न्यूनतम अर्हता	चयन पद्धति
			अनारक्षित	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस				
1.	सहायक शिक्षक (प्राथमिक)	04	03	-	01	-	-	रु. 9300-34800 + जीपी रु. 4200/- (स्तर-06)	21-30	किसी भी वर्ग में स्नातक डिग्री तथा निम्नलिखित पात्रता शिर्षकों में से एक के साथ राज्य टीईटी/केंद्रीय टीईटी प्राथमिक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण:- 3. किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान में डी.एल.एड. (बीटीसी) परीक्षा. अथवा 4. बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण.	लिखित परीक्षा
2.	वनपाल	01	-	-	01	-	-	रु. 5200-20200 + जीपी रु. 2800/- (स्तर-05)	21-30	1. इंटरमीडिएट (विज्ञान या कृषि) 2. पुरुष के लिए 25 किमी दौड़ और महिला के लिए 14 किमी दौड़ (अर्हक प्रकृति की कौशल परीक्षा)	लिखित एवं कौशल परीक्षा
3.	मीटर रीडर (जल)	01	01	-	-	-	-	रु. 5200-20200 + जीपी रु. 2000/- (स्तर-03)	21-30	इंटरमीडिएट	लिखित परीक्षा

- ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति हेतु आयु सीमा पर 31-01-2023 के अनुसार विचार किया जाएगा तथा छावनी परिषद् कर्मचारी सेवा नियमावली, 2021 के अंतर्गत विद्यमान नियमों के अनुरूप आयु सीमा 21-30 वर्ष है और आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप दी जाएगी.
- प्रत्येक पद हेतु प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परीक्षा शुल्क:- सामान्य / अनारक्षित / भूतपूर्व सैनिक / विभागीय उम्मीदवार/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु. 1000/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग (न्यूनतम 40%) के लिए रु. 500/-, ट्रांसजेन्डर के लिए परीक्षा शुल्क से छूट नहीं है.
- विस्तृत विज्ञापन, परिवर्तन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, और अन्य जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट <https://ranikhet.cantt.gov.in> और <https://forms.mponline.gov.in> पर देखा जा सकता है. महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन जमा करना प्रारंभ करने की तिथि	15.01.2023
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	01.03.2023 को 23:59 बजे तक.

स्थान: रानीखेत

(नामेश कुमार पाण्डेय, आईडीईएस)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी परिषद् रानीखेत

दिनांक: 02-01-2023

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी


- जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवॉर्ड से किससे सम्मानित किया गया ?
(अ) अर्पणा सेन (ब) डॉ. सुनीता घोषरा
(स) इरशाद कामिल (द) इनमें से कोई नहीं
- राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थापित होगी ?
(अ) जयपुर (ब) जोधपुर
(स) अजमेर (द) जैसलमेर
- राजीव गाँधी शहरी ओलंपिक खेल राजस्थान के कितने नगरीय निकायों में आयोजित होंगे ?
(अ) 10 (ब) 36 (स) 196 (द) 240
- पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर में किसके सहयोग से रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया ?
(अ) विश्व बैंक (ब) यूनिसेफ
(स) यूनेस्को (द) इनमें से कोई नहीं
- हाल ही चर्चा में रहा परख अभियान किससे संबंधित है ?
(अ) उद्योग (ब) बैंकिंग
(स) स्वास्थ्य (द) शिक्षा
- मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौनसा स्थान है ?
(अ) प्रथम (ब) द्वितीय
(स) तृतीय (द) इनमें से कोई नहीं
- निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है ?
(अ) नाथद्वारा (ब) नरायना (जयपुर)
(स) किशनगढ़ (अजमेर) (द) गलताजी (जयपुर)
- राजस्थान में शक्ति अभियान किस जिले से संबंधित है ?
(अ) अजमेर (ब) जयपुर (स) बाली (द) बीकानेर
- निम्न में से किसने जयपुर में हवामहल का निर्माण करवाया ?
(अ) प्रतापसिंह (ब) भानसिंह II
(स) माधोसिंह II (द) जगतसिंह
- राजस्थान में बागीर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई ?
(अ) कालीसिंध (ब) कोठारी (स) खंबत (द) लूनी
- हाल ही में किस राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ?
(अ) राजीव मेहता (ब) राजीव लक्ष्मण करंदीकर
(स) असगर वजाहत (द) पी. सेन
- सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर है ?
(अ) वीरेन्द्र सहवाग (ब) रोहित शर्मा (स) ईशान किशन (द) शुभमन गिल
- हाल ही में प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया ?
(अ) ब्रिटेन (ब) जापान
(स) जर्मनी (द) इनमें से कोई नहीं
- चर्म रोग के उपचार में किस रेंडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है ?
(अ) रेंडियो कोबाल्ट (ब) रेंडियो फास्फोरस
(स) रेंडियो सीसा (द) इनमें से कोई नहीं
- विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया ?
(अ) हेनरी शीले (ब) हेनरी बेकरल
(स) थियोडोर स्ट्रॉस (द) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला


1(स) 2(ब) 3(द) 4(स) 5(द) 6(ब) 7(स) 8(द) 9(अ) 10(ब) 11(ब) 12(द) 13(स) 14(ब) 15(अ)

रोजगार के अवसर (संक्षिप्त जानकारी)

एफटीआईआई पद - डीन, प्रोफेसर आदि पद संख्या - कुल 30 पद अंतिम तिथि - 14 फरवरी, 2023 https://www.ftii.ac.in/	बीएमआरसी पद - जनरल मैनेजर आदि पद संख्या - कुल 14 पद अंतिम तिथि - 07 फरवरी, 2023 https://english.bmr.co.in/	डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन पद - सब डिवीजनल इंजीनियर पद संख्या - कुल 270 पद अंतिम तिथि - 22 फरवरी, 2023 https://dot.gov.in/	टीएनपीएससी पद - रोड इंस्पेक्टर पद संख्या - कुल 761 पद अंतिम तिथि - 11 फरवरी 2023 www.tnpsc.gov.in
भारतीय वन्यजीव संस्थान, उत्तराखण्ड पद - प्रोजेक्ट फेलो आदि पद संख्या - कुल 26 पद अंतिम तिथि - 10 फरवरी, 2023 https://www.wii.gov.in/	नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी, नई दिल्ली पद - साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनेटर व आदि पद संख्या - कुल 18 पद अंतिम तिथि - 09 फरवरी, 2023 https://nia.gov.in/	इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पद - टैक्स इंस्पेक्टर आदि पद संख्या - कुल 72 पद अंतिम तिथि - 06 फरवरी, 2023 https://incometaxindia.gov.in/	एमएमपीटी पद - जूनियर अफिसरेंट पद संख्या - कुल 08 पद अंतिम तिथि - 20 फरवरी 2023 https://newmangaloreport.gov.in/



74^{वां}
गणतंत्र दिवस



भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रमुख-संपन्न, समाजवादी पंचनिर्देशक लोकसत्तात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रशिक्षण और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सातमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भावत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
- (च) हमारी सामाजिक-संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिभाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मूल कर्तव्यों को अंगीकृत कर हम सब सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए प्रदेश को उन्नति की ओर बढ़ाएं।

सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द, जय भारत

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

रा.रो.सं. 05/2023

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना	सूचना	राजस्थान रोजगार संदेश
राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक	राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक	मुख्य सम्पादक जगदीश नारायण तिवार निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान, जयपुर मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक हरी राम बड़गुजर सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर, डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दारुवा स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398 e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in